राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर ।

क्रमांकः–नर्सिग / नर्स–1 / विदेश यात्रा आक्षेप–2023 / 20695 / 2023 / 462 दिनांकः– 8/11/2023

अधीक्षक,
महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय,
उदयपुर।

विषयः–श्री मुस्तन सर बोहरा,वरिष्ठ नर्सिग अधिकारी के विदेश यात्रा के संबंध मे।
संदर्भः–आपका पत्र कमांक 162 दिनांक 07.08.2023 के कम मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संन्दर्भित पत्र के द्वारा श्री मुस्तन सर बोहरा,वरिष्ठ नर्सिग अधिकारी के विदेश यात्रा के संबंध मे सूचना भिजवाई गई के संबध मे अवगत करावे किः–

1. आपके पत्रांक 88 दिनांक 04.04.2023 के द्वारा प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाने से अवगत कराया है, परन्तु निदेशालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार उक्त प्रस्ताव आज दिवस तक निदेशालय में प्राप्त होना प्रतीत नहीं हो रहा है। आप द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव का ई डाक संख्या / रजिस्टर्ड भेजा है तो उसकी रसीद मय रजिस्ट्री कमांक सहित सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. कार्मिक द्वारा दिनांक 20.05.2023 को संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो आपके द्वारा मंत्रालयिक कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर होने से निदेशालय को अग्रेषित नहीं किया गया। क्या मंत्रालयिक कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर होने पर आपके कार्यालय में डाक / पत्र प्रेषित करने हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी अथवा नहीं ? यदि नहीं की गई थी तो इसके लिए कौन अधिकारी / कर्मचारी जिम्मेदार है।
3. कार्मिक द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रार्थना पत्र दिनांक 20.05.2023 को आपके पत्रांक 116 दिनांक07.07.2023 को निदेशालय में भिजवाया गया है जो दिनांक 10.07.2023 को निदेशालय में प्राप्त हुआ। कार्मिक के विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने के पश्चात उक्त प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाने का क्या औचित्य है, की सूचना भी चाही गई थी जिसका प्रतिउत्तर भी आपके द्वारा संतोषप्रद नहीं भिजवाया है, के क्या कारण रहे है।
4. कार्मिक बिना अवकाश स्वीकृत कराये दिनांक 31.05.2023 को अवकाश पर जाने एवं मुख्यालय छोडने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था तो आपके द्वारा कार्मिक को बिना विभागीय अनुमति विदेश यात्रा नहीं करने तथा उक्त अवधि का अवकाश स्वीकृत नहीं करने से अवगत क्यों नहीं कराया गया ? के साथ ही बिना अनुमति विदेश यात्रा करने पर विभागीय आदेशों की अवहेलना तथा उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के संबंध में आप द्वारा कार्मिक को क्यों नहीं पाबन्द किया गया से अवगत कराते हुए कार्मिक से स्पष्टीकरण प्राप्त कर भिजवाना सुनिश्चित करें।
5. कार्मिक द्वारा समय पूर्व विदेश यात्रा हेतु आपके कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था तो आपके कार्यालय द्वारा अवकाश स्वीकृत / अस्वीकृत करने के संबध मे कार्मिक को क्यों नहीं अवगत कराया गया ? एवं प्रकरण विलम्ब से निदेशालय को भिजवाने हेतु जिम्मेवार अधिकारी / कार्मिक के विरूद्ध आपके द्वारा क्या कार्यवाही की गई से अवगत कराना सुनिश्चित करावे।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर
दिनांकः– 8/11/2023

क्रमांकः–नर्सिग / नर्स–1 / विदेश यात्रा आक्षेप–2023 / 20695 / 2023 / 462

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, जोन–उदयपुर।
2. संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।
4. रक्षित / गार्ड पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
4965843

Document certified by SURESH NAWAL <add4ng@g...l.com>.

Digitally Signed by Suresh Kumar Nawal
Designation: Director
Date :03-11-2023 01:43:09

MN 1 Order